प्रबन्ध मण्डल की 22 वीं बैठक दिनांक 07–06–2013 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 22 वीं बैठक दिनांक 07–062013 को प्रातः 11:00 बजे कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1. श्री आनन्द कुमार – अध्यक्ष
2. श्री दौलत राज समेजा – सदस्य
   (माननीय विधायक, रायसिंहनगर)
3. सुश्री आरती डोगरा – सदस्य
   (प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राज. सरकार)
4. प्रो. एल. एन. गुप्ता – सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
5. प्रो. रविन्द्र शर्मा – सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
6. डॉ. के.एस. यादव – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
7. प्रो. आर.एन.शर्मा – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)
8. श्री देदाराम – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य)
9. डॉ. विमलेन्दु तायल – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निजी महाविद्यालय प्राचार्य)
10. प्रो. एम.एम. सक्सेना – सदस्य
    (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
11. श्री एम.डी. गौरा – सदस्य
    (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
12. प्रो. एस.के. भनोत
    (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)
13. प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल – सदस्य
    (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)
14. श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा – सदस्य सचिव

07-06-2013 BoM की बैठक

बैठक के प्रारम्भ में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रबन्ध मण्डल के सदस्य सचिव श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा का स्वागत किया गया। साथ ही सदस्य सचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा निवर्तमान सदस्य सचिव श्री राजीव कुमार भाकल के कार्यों की सराहना की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में प्रस्तुत बिन्दुओं पर विचार–विमर्श उपरान्त लिये गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है :–

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–22/2013/268

प्रबन्ध मण्डल की 21 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 21 वीं बैठक दिनांक 16–03–2013 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका हैं। कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न कर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
संलग्न : कार्यवाही विवरण

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल की 21 वीं बैठक दिनांक 16–03–2013 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–22/2013/269

प्रबन्ध मण्डल की 21 वीं बैठक दिनांक 16–03–2013 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की 22 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विचार–विमर्श के दौरान विनिर्णय संख्या मंगसिविबी/बोम–21/2013/251 की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प.8(1)/शिक्षा–4/2011 दिनांक 28–05–2013 (छायाप्रति सलंग्न) को प्रबन्ध मण्डल बैठक में प्रस्तुत किया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालयों एवं निजी महाविद्यालयों से सीधी भर्ती से चयनित होकर विश्वविद्यालय में आने वाले शिक्षकों /अधिकारियों के वेतन संरक्षण के संबंध में सम्पूर्ण तथ्यों सहित पुनः राज्य सरकार को प्रतिवेदन भिजवाने का निर्णय लिया गया। प्रतिवेदन का प्रारूप माननीय सदस्यो प्रो. आर.एन. शर्मा एवं श्री विमलेन्दु तायल द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाया जावेगा। प्रस्तुत प्रारूप को माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। तत्पश्चात पालना प्रतिवेदन का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–21/2013/256

पुस्तकालयाध्यक्ष के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के सम्बन्ध में प्रस्ताव –

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.14(13)शिक्षा–4/07 दिनांक 08–12–2010 के द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष के एक पद (सामान्य) को नियमित चयन प्रक्रिया के द्वारा सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति की अनुपालना में विज्ञापन क्रमांक 02/2012(संस्था) दिनांक 28–09–2012 जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। पुस्तकालयाध्यक्ष के एक पद के

लिए पात्र पाये गए 08 अभ्यर्थियों में से दिनांक 29–11–2012 को साक्षात्कार हेतु उपस्थित 07 अभ्यर्थयों का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया गया।

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार उपरान्त प्रस्तुत अनुशंसा (सीलबंद लिफाफे में), विज्ञापन की प्रति एवं पात्र अभ्यर्थियों की सूची (मय योग्यता) प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– उक्त प्रस्ताव पर विचार से पूर्व एजेण्डा बिन्दु संख्या 272 पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श कर चयन समिति द्वारा उपलब्ध करवाई गई मुख्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी खोले जाने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। तत्पश्चात पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखी गई। चयन समिति द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु मुख्य सूची में श्री उमेश शर्मा एवं प्रतीक्षा सूची में श्री मदन लाल जाट के नाम की प्रस्तुत अनुशंसा का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए तद्नुसार चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–21/2013/257

विश्वविद्यालय में प्रबन्धक, अतिथि गृह के एक पद पर की गई नियुक्ति के सम्बन्ध में सूचना –

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.14(13)शिक्षा–4/07 दिनांक 08–12–2010 के द्वारा प्रबन्धक, अतिथि गृह के एक पद (सामान्य) को नियमित चयन प्रक्रिया के द्वारा भरने की स्वीकृति प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या 03/2011 (संस्था) द्वारा जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गए। प्रबन्धक, अतिथि गृह के एक पद के लिए पात्र पाये गए 20 अभ्यर्थियों में से दिनांक 05–11–2012 को साक्षात्कार हेतु उपस्थित 14 अभ्यर्थयों का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया गया।

चयन समिति द्वारा साक्षात्कार उपरोक्त प्रस्तुत अनुशंसा (सील बंद लिफाफे में) को माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त प्रबन्धक, अतिथि गृह के एक पद पर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(03)मंगसिविबी/संस्था/2012/18181–90 दिनांक 01–12–2012 के द्वारा श्री रजत कुमार भादू को नियुक्ति दी प्रदान की गई। श्री भादू ने दिनांक 03–12–2012 को (पूर्वान्ह में) प्रबन्धक, अतिथि गृह के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। प्रबन्ध मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्धक, अतिथि गृह के पद पर श्री रजत कुमार भादू की नियुक्ति की सूचना प्रबन्ध मण्डल सदस्यों द्वारा नोट की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–21/2013/258

प्रयोगशाला सहायक एवं तकनीकी सहायकों को वैकेशनल स्टॉफ के समान अवकाश की देयता निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव –

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 18–10–2012 के विनिर्णय संख्या 238 की अनुपालना में प्रयोगशाला सहायक, तकनीकी सहायक एवं प्रयोगशाला प्रेष्य को वैकेशनल स्टॉफ के समान अवकाश की देयता का निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(03)/मंगसिंविबी/संस्था/

2012/17822–27 दिनांक 21–11–2012 के द्वारा समिति गठित की गई थी। उक्त समिति द्वारा प्रयोगशाला सहायक एवं तकनीकी सहायको का वेकेशनल स्टॉफ के समान अवकाश की देयता के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट संलग्न प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रयोगशाला सहायक, तकनीकी सहायक एवं प्रयोगशाला प्रेष्य को वैकेशनल स्टॉफ के समान अवकाश की देयता के संबंध में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–21/2013/259
सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) को मोबाइल व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव –

प्रबन्ध मण्डल के विनिर्णय संख्या मंगसिविबी/बोम–14/2011/152 दिनांक 13–04–2011 की पालना में आदेश क्रमांक प.03(10) मगंसिविबी/संस्था/ 2011/6686–6702 दिनांक 31–05–2011 के द्वारा विश्वविद्यालय में नियुक्त अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन एवं मोबाईल के बिलों के भुगतान/पुनर्भरण की सुविधा प्रदान की गई है। तत्समय विश्वविद्यालय में सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) की नियुक्ति नहीं होने के कारण उक्त पदनाम कार्यालय आदेश में सम्मिलित नहीं किये जा सके। वर्तमान में उक्त पद पर डॉ. यशवन्त कुमार गहलोत कार्यरत है। माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(49)मगंसिविबी/ संस्था/2012 /69–76 दिनांक 03–01–2013 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा डॉ. यशवन्त कुमार गहलोत, सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) को 500/– रू. प्रतिमाह अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो की सीमा तक मोबाइल बिल के भुगतान/पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी की गई थी। अतः डॉ. यशवंत कुमार गहलोत, सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) को मोबाईल व्यय के पुनर्भरण हेतु जारी कार्यालय आदेश दिनांक 03–01–2013 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– डॉ. यशवन्त कुमार गहलोत, सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) को 500/– रू. प्रतिमाह अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो की सीमा तक मोबाइल बिल के भुगतान/पुनर्भरण का विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(49)मगंसिविबी/ संस्था/2012 /69–76 दिनांक 03–01–2013 का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–21/2013/260
दो सेवानिवृत कर्मचारियों को मासिक स्थिर पारिश्रमिक पर संविदा पर रखने के सम्बन्ध जारी आदेश के अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव –

राज्य सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक पदों पर नियुक्ति उपरान्त विश्वविद्यालय में स्थिर पारिश्रमिक पर कार्यरत सेवानिवृत कार्मिक को अनुपातिक रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया था। उक्त सेवानिवृत कार्मिकों में गोपनीय अनुभाग में कार्यरत श्री अनूप सिंह एवं श्री शंकर लाल गहलोत को भी कार्यमुक्त कर दिया गया था।

विश्वविद्यालय में नव नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को परीक्षा कार्य का पर्याप्त अनुभव न होने तथा परीक्षाएं निकट होने, परीक्षा कार्य की समयबद्वता व आकस्मिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(11)मंगसिविबी/ संस्था/2013/77 दिनांक 03–01–2013 के द्वारा पूर्व में गोपनीय अनुभाग में कार्यरत रहे उक्त दोनो

सेवानिवृत कार्मिकों को रू. 6000/– रू. मासिक स्थिर पारिश्रमिक पर 6 माह के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। उक्त आदेश प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किया गया।

अतः सेवानिवृत कर्मियों की स्थिर पारिश्रमिक पर संविदात्मक नियुक्ति हेतु जारी आदेश दिनांक 03–01–2013 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– सेवानिवृत कर्मियों की स्थिर पारिश्रमिक पर संविदात्मक नियुक्ति हेतु जारी आदेश दिनांक 03–01–2013 का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही माननीय सदस्य प्रो. एम.एम. सक्सेना, जो परीक्षा नियंत्रक का कार्य भी कर रहे है ने परीक्षा (गोपनीय) कार्य की महता एवं समयबद्वता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों सेवानिवृत कार्मिकों की सेवा अवधि में परीक्षा 2013 (मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा व पुनर्मूल्याकंन) के निस्तारण तक अभिवृद्वि करने का अनुरोध किया जिसकी प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। माननीय सदस्यों द्वारा दोनों सेवानिवृत कार्मिकों को उनकी सेवाओं के दृष्टिगत कार्य के अनुसार नियमानुसार वेतन का भुगतान करने का सुझाव दिया उक्त सुझाव से अध्यक्ष महोदय ने सहमति प्रकट की।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–21/2013/261
स्नातकोत्तर विभागों एवं शोध अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षकों की सेवाओं के लिए मानदेय निर्धारण करने के संबंध में प्रस्ताव –

विश्वविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर विभागों एवं शोधार्थियों के अध्यापन हेतु समय–समय पर अतिथि शिक्षकों तथा विषय शोध विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता होती है। उपरोक्त व्यवस्था हेतु प्रति घण्टे की दर से मानदेय देकर अध्यापन कार्य करवाया जाता है। अतः अतिथि शिक्षकों की सेवाओं की एवज में राशि रू. 250/– प्रति घण्टे की दर से मानदेय दिया जा रहा है।

वर्तमान समय में स्नातकोत्तर विभागों एवं शोध कार्य हेतु क्रमशः अतिथि शिक्षकों एवं शोध विशेषज्ञों की अत्याधिक आवश्यकता रहती है। अतः अतिथि शिक्षकों की सेवाओं की एवज में राशि रू. 250/– के स्थान पर 400/– रू. प्रति घण्टे तथा शोध विषय विशेषज्ञों को 1000/– रू. प्रति घण्टे की दर से मानदेय का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त ब्राह्य अतिथि शिक्षकों को विश्वविद्यालय नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं स्थानीय अतिथि शिक्षकों को 100/– रू. प्रतिदिन की दर से स्थानीय यात्रा भत्ता भी दिया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– अतिथि शिक्षकों की सेवाओं के लिए मानदेय का निर्धारण करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के दिशा–निर्देश तथा अन्य विश्वविद्यालयों में दिये जा रहे मानदेय की दरों के संबंध अध्ययन कर अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया :–

1. प्रो. एस.के. भनोत, अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. प्रो. एम.एम. सक्सेना, अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान विभाग, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।

उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा/रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–21/2013/262

श्री राघव पुरोहित की निजी सचिव–कुलपति पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा गठित प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों की समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 21–07–2012 के विनिर्णिय संख्या 217 की पालना में श्री राघव पुरोहित की निजी सचिव–कुलपति को उनकी नियुक्ति के संबंध में व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले डॉक्यूमेंटस/तथ्य/बयानों के परीक्षण उपरान्त अनुशंसा/रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(10)/मगंसिविबी/संस्था/2012/9309–15 दिनांक 21–08–2012 के द्वारा प्रबन्ध मण्डल सदस्यों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था

समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल की 20 वीं बैठक दिनांक 18–10–2012 में निर्णय हेतु रखी गई थी। प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि रिपोर्ट में दर्शाये सभी परिशिष्टों को रिपोर्ट के साथ संलग्न कर आगामी बैठक में एजेण्डा बिन्दु के साथ भेजी जावें।

अतः निर्णयानुसार समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय परिशिष्ट प्रबन्ध मण्डल के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न – रिपोर्ट।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल सदस्यों की तीन सदस्यीय समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि "श्री राघव पुरोहित को निजी सचिव – कुलपति पद पर कार्य करने की अनुमति दी जाए क्योंकि इनका चयन निर्विवाद है।" प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–21/2013/263

वर्ष 2005–06 में उपाधि मुद्रण पर हुए व्यय के अपलेखन/ दायित्व निर्धारण/ वसूली के संबंध में प्रस्ताव –

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 21–07–2012 के विनिर्णिय संख्या 224 की पालना में वर्ष 2005–06 में मुद्रित करवाई गई उपाधियों का वर्तमान समय में कोई उपयोग नही होने के कारण प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपाधि मुद्रण में हुए व्यय राशि रू. 14.32 लाख को निष्फल व्यय माना गया। उक्त निष्फल व्यय का अपलेखन करने से पूर्व रिकार्ड का अवलोकन कर आवश्यक होने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को व्यक्तिशः सुनकर वसूली/ दायित्व निर्धारण करने के संबंध में कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(10)/मगंसिविबी/संस्था/2012/11072–79 दिनांक 14–09–2012 के द्वारा प्रबन्ध मण्डल के तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी

समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को प्रबन्ध मण्डल की 20 वीं बैठक दिनांक 18–10–2012 में निर्णय हेतु रखा गया था। प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि रिपोर्ट में दर्शाये सभी परिशिष्टों को रिपोर्ट के साथ संलग्न कर आगामी बैठक में एजेण्डा बिन्दु के साथ भेजी जावें।

अतः निर्णयानुसार समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय परिशिष्ट प्रबन्ध मण्डल के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न – रिपोर्ट।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार विमर्श उपरान्त वर्ष 2005–06 में उपाधि मुद्रण पर हुए व्यय के अपलेखन के संबंध में पूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–21/2013/264

वर्ष 2009 से 2011 तक के उत्तीर्ण परिक्षार्थियों के लिए मुद्रित उपाधियों में पाये गये दोष पर शास्ति लगाकर स्वीकार करने हेतु प्रस्ताव –

वर्ष 2009 से 2011 तक के 152794 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रदान की जाने वाली उपाधियों को मुद्रित करवाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा खुली निविदा आमंत्रित की गयी। खुली निविदा के दौरान उपाधि मुद्रण की न्यूनतम दर मै0 लक्की फर्मस प्रा0 लि0 मुम्बई की प्राप्त हुई, इसलिए इस फर्म को उपाधियाँ मुद्रित कर आपूर्ति करने के आदेश दिए गए थे। निर्धारित अवधि में फर्म द्वारा 15 दिवस के भीतर तीन लौट में 144794 उपाधियाँ आपूर्त कर दी है तथा 8000 मुद्रित उपाधियाँ फर्म के पास है। प्राप्त उपाधियों की विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा जाँच करने पर पाया गया कि :–

- वर्ष 2009 से 2011 तक के लगभग 53000 स्वयंपाठी छात्रों की उपाधियों में मुद्रित स्वयंपाठी (Non-Collegiate) शब्द अपने निर्धारित स्थान से कुछ हटा हुआ है।
- प्राप्त उपाधियों में 8 Security Features में से एक Feature Dandy Water Mark Printing टेण्डर की शर्त के अनुरूप न होकर स्याही से मुद्रित किया हुआ है।
- उपाधि का GSM MSME Testing Station, Jaipur से कराने पर पाया गया कि उपाधि मुद्रण के लिए काम में लिया गया पेपर 140 GSM के स्थान पर 133 GSM का है।

फर्म द्वारा आपूर्त उपाधियों में पायी गयी उक्त तीन कमियों के संबंध में फर्म को अवगत करवाया गया। इस संबंध में फर्म के मार्केटिंग डायरेक्टर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 4.2.2013 अवलोकनार्थ संलग्न है। प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार स्वयंपाठी छात्रों की उपाधियों में नोन कॉलेजीएट शब्द कम्प्युटर ऐरर की वजह से अपने निर्धारित स्थान से कुछ हट गया है। फर्म ने ऐसी उपाधियों को स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया है। जीएसएम के बारे में फर्म ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने जिस फर्म से पैपर कय किए हैं, उन्हें 140 जीएसएम का पैपर आपूर्त करने के लिए ही आदेशित किया गया था तथा जिस फर्म ने पैपर आपूर्त किए हैं, उन्होंने 140 जीएसएम का पेपर आपूर्ति करना ही लिखा है। इस संदर्भ में फर्म ने लिखा है कि पॉच प्रतिशत तक जीएसएम कम अथवा अधिक हो सकता है। स्पष्टीकरण के अनुसार फर्म द्वारा आपूर्त उपाधियों में मुद्रित ऑफलाईन वॉटरमार्क पेपर निर्माण के समय उपयोग में लिए जाने वाले डंडी वाटर मार्क के समान ही है।

वर्तमान में कय की जा रही एक उपाधि की लागत लगभग 5 रूपए प्रति उपाधि है तथा कुल उपाधियों की लागत लगभग 763970/– है। पूर्व में परीक्षा 2004 से 2008 तक की लगभग इतनी ही संख्या में मुद्रित करवायी गयी एक उपाधि की लागत लगभग 18 रूपए प्रति उपाधि थी एवं कुल उपाधियों की लागत 28,11,417/– रूपए थी। इसलिए विश्वविद्यालय कय समिति की राय है कि 13 रूपए प्रति उपाधि कम लागत में मुद्रित उक्त उपाधियाँ जिनमें एक सिक्योरिटी फीचर दोषपूर्ण होने एवं उक्त दो कमियाँ पाई जाने के कारण फर्म पर 10 प्रतिशत शास्ति आरोपित कर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग II सामान की प्राप्ति के नियम 5 (3)(अ) के अनुसार मुद्रित उपाधियाँ स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि प्राप्त उपाधियों में निहित अन्य सात सिक्योरिटी फीचर सही पाए गए हैं। केवल एक सिक्योरिटी फीचर ही दोषपूर्ण है, इससे उपाधि की उपयोगिता में कोई कमी नहीं आती है। उक्त उपाधियों को स्वीकार करने से वर्ष 2009 से 2011 तक के सफल परीक्षार्थियों को वितरित की जाने वाली उपाधियों के वितरण में अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा।

२१५/

ज्ञातव्य है कि पूर्व में वर्ष 2004 से 2008 तक की मुद्रित उपाधियों में निविदा की शर्त के अनुसार डंडी वाटर मार्क लोगो को प्रत्येक उपाधि के केन्द्र में मुद्रित करने में संबंधित फर्म द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर प्रबन्ध मण्डल की 15 वी बैठक में निविदा शर्त में शिथिलता प्रदान करते हुए संबंधित फर्म पर $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत शास्ति आरोपित कर उपाधियाँ स्वीकार की गयी थी।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उपाधि मुद्रण का प्रकरण प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर व्यापक विचार–विमर्श किया गया। सदस्य सचिव ने विश्वविद्यालय द्वारा फर्म को दिये गए सुरक्षात्मक चिन्हों के संबंध में प्रबन्ध मण्डल को अवगत करवाया गया। साथ ही मुद्रित उपाधियों के नमूनों को भी प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत किये गए।

वर्ष 2009,2010 एवं 2011 के लिये फर्म द्वारा मुद्रित उपाधियों के उपरोक्त तीनो बिन्दुओं के संबंध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त वर्षो की मुद्रित उपाधियों के लिये फर्म द्वारा प्रेषित किये जाने वाले बिल की राशि में से 15 प्रतिशत राशि की (शास्ति के रूप में) कटौती करने का निर्णय लेते हुए वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 के लिये मुद्रित उपाधियां स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। आगामी वर्षो के लिये यदि विश्वविद्यालय इसी फर्म से उपाधियां मुद्रित करवाता है तो उपाधियों में उपरोक्त तीन मानदण्डों के साथ टेण्डर में अंकित समस्त शर्तो की पालना सुनिश्चित करते हुए उपाधिया मुद्रित करनी होगी अन्यथा आगामी वर्षो की उपाधियां विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं करते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावें।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–21/2013/265

विश्वविद्यालय परिसर में निदेशक, शोध एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण हेतु पृथक कार्यालय भवन तथा चारदीवारी के शेष रहे निर्माण कार्य सम्बन्धित एजेण्डा नोट

इस विश्वविद्यालय में निदेशक, शोध का पद स्वीकृत है एवं इस पद पर पदस्थापन भी हो चुका है, उनका कार्यालय भी अस्तित्व में आ गया है। किन्तु उनके कार्यालय के लिए पृथक से भवन उपलब्ध नहीं होने से वर्तमान में प्रशास्निक भवन के एक हिस्से में अस्थाई रूप से उनके कार्यालय स्थापन्न की व्यवस्था की गई है।

विभिन्न संकायों के 500 छात्र शोधार्थी के रूप में इस विश्वविद्यालय में पंजीबद्ध हैं। उनके द्वारा शोध कार्य में प्रस्तुत की जाने वाली शोध–प्रारूप, शोध–सार, शोध–प्रबन्ध जैसे अति महत्वपूर्ण एवं गोपनीय अभिलेख के अति सुरक्षित रूप से पृथक–पृथक कमरों में रखने एवं सार–संभाल का दायित्व शोध अनुभाग का है। इसके अतिरिक्त शोधार्थियों से विषय विशेषज्ञों द्वारा ली जानी वाली मौखिक परीक्षा भी इसी अनुभाग द्वारा संचालित की जाती है तथा इसी अनुभाग द्वारा एम.फिल. तथा पी–एच.डी. की प्रवेश परीक्षा भी करवाई जाती है। इस प्रकार निदेशालय शोध द्वारा संचालित कार्य एवं शोधार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुरक्षित रूप से रखे जाने हेतु पृथक एवं स्वतन्त्र रूप से शोध निदेशालय भवन के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है जो प्रशासनिक विभाग से भिन्न स्थान पर हो ताकि प्रशासनिक एवं शोध अनुभाग के पृथक – पृथक कार्यों में परस्पर बाधा उत्पन्न न हों।

20

इसके अतिरिक्त अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के कार्यालय भवन के निर्माण की भी पृथक से दरकार है जो छात्र कल्याण एवं छात्र संघ के चुनाव एवं छात्रों की समय–समय पर विभिन्न समस्याओं के निर्वारण कर सकें तथा छात्र संघ के चुनाव एवं छात्रों के अध्ययन सम्बन्धित सेमीनार तथा वार्षिक उत्सव आयोजन करा सके।

विश्वविद्यालय परिसर में शेष चारदीवारी का निर्माण कार्य सीमा ज्ञान के अभाव में नहीं करवाया जा सका था। अब चूंकि तहसीलदार, भू–अभिलेख, बीकानेर द्वारा सीमा ज्ञान करवा दिया गया है, इसके अनुसार शेष लगभग छः किलोमीटर तक की चारदीवारी का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें से दो किलोमीटर चारदीवारी का निर्माण कार्य विश्वविद्यालय की आय से आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है। शेष चारदीवारी का निर्माण कार्य राज्य योजना मद से करवाया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार की बजट निर्णायक समिति ने वितीय वर्ष 2013–14 के योजना मद में उक्त तीनों निर्माण कार्य हेतु राशि 186 लाख रूपये स्वीकृत करने पर सहमति दी है।

प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त शोध निदेशक एवं अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के कार्यालय भवनों तथा विश्वविद्यालय परिसर की शेष चार दिवारी के निर्माण की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–21/2013/266

सत्र 2010–11 से पूर्व महाविद्यालयों में कार्यरत एम.फिल./पीएच.डी. धारक व्याख्याताओं को स्थायी व्याख्याता के पद पर नियुक्त करने की छूट प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव –

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्थायी व्याख्याताओं की नियुक्ति के अनुमोदन के क्रम में महाविद्यालयों द्वारा उनकी संस्था में सत्र 2010–11 से पूर्व कार्यरत एम.फिल./पीएच.डी. डिग्रीधारी व्याख्याताओं की नियुक्ति के अनुमोदन का आग्रह किया जा रहा है। चूंकि इन व्याख्याताओं की नियुक्ति के समय नेट/स्लेट/सेट योग्यता यूजीसी के नियमानुसार आवश्यक नहीं थी, तथा अपरिहार्य कारणों से महाविद्यालयों द्वारा इन व्याख्याताओं की स्थायी पद पर नियुक्ति न करने पर विश्वविद्यालय से अनुमोदन भी नहीं करवाया जा सका।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश दिनांक 30–6–10 के अनुसार सत्र 2010–11 से महाविद्यालय में नेट/स्लेट/सेट योग्यताधारी आशार्थियों को ही योग्यताधारी व्याख्याताओं की श्रेणी में शामिल करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रबन्ध मण्डल की 19वीं बैठक के निर्णयानुसार महाविद्यालयों में 2009–10 या पूर्व में नियुक्त शिक्षक जो पीएच.डी./एम.फिल. डिग्रीधारक है को योग्यताधारी शिक्षक की श्रेणी में मानकर सत्र 2011–12 एवं आगामी एक वर्ष तक शास्ति राशि में छूट प्रदान की गयी। किन्तु स्थायी व्याख्याता पद पर नियुक्ति के अनुमोदनार्थ उक्त योग्यताधारी आशार्थियों को व्याख्याता पद के योग्य नहीं माना गया।

अतः सत्र 2010–11 से पूर्व महाविद्यालयों में व्याख्याता पद पर नियुक्त आशार्थी जो एम.फिल. /पीएच.डी. डिग्रीधारक है तथा नेट/स्लेट/सेट की योग्यता नहीं रखते है, के स्थायी व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– सत्र 2010–11 से पूर्व महाविद्यालयों में कार्यरत एम.फिल./पीएच.डी. धारक व्याख्याताओं को स्थायी व्याख्याता के पद पर नियुक्त करने की छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अस्वीकृत कर दिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–21/2013/267
निजी महाविद्यालयों से शास्ति आरोप के संबंध में प्राप्त ज्ञापन के संबंध प्रस्ताव–

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 17वीं बैठक के एजेण्डा संख्या 191 मे महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शर्तो की पूर्ति नहीं करने पर उनके विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के संदर्भ में विचार–विमर्श किया गया था। विचार–विमर्श के दौरान यह बात सामने आयी कि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में संचालित कुछ महाविद्यालय निर्धारित सम्बद्धता शर्तो की पालना नहीं करते है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा विद्या परिषद के निर्णय एवं प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त शास्ति का निर्धारण कर रखा था। विचार–विमर्श में यह बात सामने आयी कि ऐसे महाविद्यालय जो नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं वे विश्वविद्यालय में शास्ति जमा करवाकर अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री कर लेते है। इस कारण विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार के निर्देशों की पालना नहीं होती है, तथा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल ने कड़ा रूख अपनाते हुए यह निर्णय लिया कि जो महाविद्यालय निरन्तर सम्बद्धता शर्तो की पूर्ति नहीं करते हैं, उन पर कठोर शास्ति का प्रावधान किया जावे, साथ ही दो बार शास्ति आरोपित करने के बाद भी महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता शर्तो की पालना नहीं की जाती है, तो महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावे। उपरोक्त विचार–विमर्श करने के पश्चात् विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा 18वीं बैठक में शैक्षणिक सत्र 2011–12 से शास्ति के संदर्भ में पुनः प्रावधानों का निर्धारण किया गया। (प्रावधान संलग्न)

प्रबन्ध मण्डल के उपरोक्त निर्णयों की पालना में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण न करने पर प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार शास्तियों का आरोपण किया गया। उपरोक्त निर्णय की पालना में 63 महाविद्यालयों पर शास्ति का आरोपण किया गया, जिसमें से अधिकांश महाविद्यालयों ने विश्वविद्यालय द्वारा बार–बार निर्देश जारी करने पर भी आज दिनांक तक शास्ति राशि जमा नहीं करायी है। (सूची संलग्न)

प्रबन्ध मण्डल के उपर्युक्त निणयों के विरूद्ध निजी महाविद्यालयों के प्रबन्धकों ने समय–समय पर विश्वविद्यालय प्रशासन को अलग अलग व सामूहिक रूप से ज्ञापन प्रेषित कर प्रबन्ध मण्डल के निर्णयों में छूट देने का निवेदन किया है। जिसमें मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि अधिकांश महाविद्यालय ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित होने के कारण नेट/स्लेट व्याख्याता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते है। माननीय कुलपति महोदय ने शैक्षणिक अनुभाग की पत्रावली संख्या एफ.07 (399) के 98/N पर शास्ति निर्धारण के संदर्भ में प्राईवेट कॉलेज एसोसिएशन द्वारा दिये गये प्रस्ताव को शामिल करते हुए प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

प्रबन्ध मण्डल के निर्णयों के क्रम में प्राईवेट कॉलेज एसोसिएशन, बीकानेर संभाग, बीकानेर द्वारा दिनांक 2–1–2013 को माननीय कुलपति महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित किया (प्रति संलग्न) व दिनांक 7–1–2013 को माननीय कुलपति महोदय को पुनः ज्ञापन प्रेषित कर योग्यताधारी स्टॉफ के अभाव में आरोपित शास्ति में छूट का निवेदन किया। इस दौरान दिनांक 10–1–13 से 11–1–13 तक निजी महाविद्यालयों की हड़ताल रखी गई। इस संबंध में दिनांक 11–1–2013 को एसोसिएशन के पदाधिकारियों व माननीय कुलपति महोदय के बीच कुलपति सचिवालय में हुई बैठक में एसोसिएशन ने अपनी पूर्ववर्ती मांग के अनुरूप 75 प्रतिशत योग्यताधारी स्टॉफ रखने में असमर्थता व्यक्त की और उसके पीछे यह तर्क प्रस्तुत किया कि महाविद्यालयों द्वारा बार–बार विज्ञापन जारी करने के उपरान्त भी योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं जिसके कारण महाविद्यालयों द्वारा प्रबन्ध मण्डल के निर्णयों की पालना किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है तथा आर्थिक दण्ड के कारण महाविद्यालयों के संचालन में दिक्कतें आ रही है। माननीय कुलपति महोदय ने महाविद्यालयों के उपरोक्त तर्क के न्यायोचित होने के संदर्भ में तथ्यात्मक विवरण 5–6 दिन में उपलब्ध कराने हेतु एसोसिएशन को निर्देशित किया। उक्त बैठक में एसोसिएशन ने एक सहमति पत्र माननीय कुलपति महोदय को विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत किया। (संलग्न) उक्त पत्र में उन बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है, जिस पर कॉलेज संचालकों ने अपनी सहमति प्रकट की है।

उपरोक्त तथ्यात्मक विवरण के उपरान्त महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शर्तों की पूर्ति नहीं करने पर उनके विरूद्ध प्रबन्ध मण्डल की 17वीं व 18वीं में लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में एसोसिएशन के पत्र पर लिये जाने वाले निर्णयों के संदर्भ में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– निजी महाविद्यालयों द्वारा योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति/भवन/भूमि एवं अन्य संरचनात्मक सुविधाओं के संबंध में सम्बद्वता शर्तो की पूर्ति नहीं करने पर शास्ति आरोपण के संबंध में विश्वविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों/प्रतिवेदनों का परीक्षण कर रिपोर्ट/अनुशंसा तैयार करने हेतु निम्नानुसार एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :–

1. श्री देदाराम, माननीय सदस्य प्रबन्ध मण्डल एवं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, रतनगढ
2. डॉ. विमलेन्दु तायल, माननीय सदस्य प्रबन्ध मण्डल प्राचार्य, एन.एम. विधि महाविद्यालय, हनुमानगढ
3. डॉ. के.एस. यादव, माननीय सदस्य प्रबन्ध मण्डल

उक्त समिति जुलाई माह के अंत तक अनुशंसा/रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो प्रबन्ध मंडल की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–22/2013/270

विद्या परिषद् की 12 वीं बैठक दिनांक 30–04–2013 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव –

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 30–04–2013 का संलग्न कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : विद्या परिषद् बैठक का कार्यवाही विवरण ।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विद्या परिषद के कार्यवाही विवरण पर बिन्दुवार विचार–विमर्श किया गया। विचार विमर्श उपरान्त बिन्दु संख्या 06 (स्नातक स्तर विधि में प्रवेश हेतु निर्धारित आयु सीमा) के संबंध में माननीय सदस्य प्रो. आर.एन. शर्मा की असहमति के अतिरिक्त कार्यवाही विवरण का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही माननीय सदस्य डॉ. वी. तायल द्वारा बिन्दु संख्या 12 में इतिहास, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूक्ष्म जैविकी विभागों में प्रोफेसर, एसोसियट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर पदों पर चयन हेतु विषय विशेषज्ञों के पैनल में वांछित समस्त सूचनाओं का समावेश करने का सुझाव दिया जिससे सदन ने सहमति प्रकट की।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–22/2013/271

निजी महाविद्यालयों में प्राचार्यो की पुनः आयु सीमा निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव –

विश्वविद्यालय से सम्बद्वता प्राप्त अधिकतर निजी महाविद्यालयों में राजकीय/ अनुदानित महाविद्यालयों से सेवानिवृत प्राचार्य/व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पुनः नियुक्ति किया हुआ है। निजी महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर पुनः नियुक्ति की आयु सीमा के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वयं के नियम नही होने के कारण महाविद्यालयों को स्पष्ट निर्देशित प्रदान नही किये गए है।

20

सेवानिवृत प्राचार्य / उपाचार्य / व्याख्याताओं की सेवा के संबंध में आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 12–10–2010 के अनुसार महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था हेतु 65 वर्ष तक की आयु निर्धारित की हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षकों की पुनः नियुक्ति हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 30–06–2010 जिसे भारत के राजपत्र दिनांक 18–09–2011 में प्रकाशित किया गया है के अनुसार सेवानिवृत शिक्षक को पुनः नियुक्ति की आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित की गई है। एन.सी.टीई द्वारा बी.एड. महाविद्यालयों में सेवानिवृत शिक्षकों की पुनः नियुक्ति हेतु आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित की गई है।

प्रबन्ध मण्डल के विनिर्णय संख्या 243 के अनुसार सम्बद्वता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों को 31 दिसम्बर, 2012 तक योग्यताधारी प्राचार्यो की नियुक्ति करने हेतु निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। 31–12–2012 तक योग्यताधारी प्राचार्य की नियुक्ति नही करने पर महाविद्यालय पर रू.1.00 लाख की शास्ति तथा 30 जून, 2013 तक भी नियुक्ति नही करने पर रू. 2.00 लाख की शास्ति आरोपित करने का निर्णय लिया गया।

अतः प्राचार्य की योग्यता के संबंध में सेवानिवृत शिक्षकों को निजी महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर अस्थाई नियुक्ति के लिए आयु सीमा निर्धारित करने के संबंध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार विमर्श उपरानत निजी महाविद्यालयों में सेवानिवृत शिक्षकों की प्राचार्य के रूप में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी / बोम–22 / 2013 / 272

चयन समिति द्वारा उपलब्ध करवाई गई चयनित अभ्यर्थियों की मुख्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव –

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 06–06–2011 के विनिर्णय संख्या 158 की पालना में जारी विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 9689 दिनांक 29–06–2011 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए गठित चयन समितियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों तथा सुरक्षित अभ्यर्थियों की अलग–अलग सूचीयों में अनुशंसा प्रस्तुत की जाएगी।

विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कार्मिकों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नही करने की स्थिति में The Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act No. 18 of 1974 में दिये गए प्रावधानुसार प्रतीक्षा सूची भी प्रबन्ध मण्डल बैठक में ही प्रस्तुत की जानी है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा मुख्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची का अनुमोदन किये जाने पर चयनित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नही करने की स्थिति में तुरन्त प्रतीक्षा सूची में से वरीयता क्रमानुसार नियुक्ति प्रदान की जा सकती है।

अतः चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की मुख्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 9689 दिनांक 29–06–2011 को निरस्त करते हुए चयन समिति द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंषित मुख्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी प्रबन्ध मण्डल / नियुक्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

२५

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–22/2013/273

विश्वविद्यालय में नवीन शैक्षिक विभागों एवं पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने के संबंध में

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालय में पांच शैक्षिक विभाग (History, English, Computer Science, Microbiology & Environment Science) स्वीकृत किये गए थे। जिनका सत्र 2011–12 से संचालन किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विस्तार एवं क्षेत्रीय मांग को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 2656 दिनांक 20–10–2011, 3369 दिनांक 12–03–2013 एवं कुलपति महोदय के अ.शा. पत्र क्रमांक 8156 दिनांक 01–06–2013 के द्वारा तीन नवीन विभाग (Rajasthani, Physical Education & Law) प्रारंभ करने की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (गुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक प.14(10) शिक्षा–4/2001 पार्ट MGSU जयपुर दिनांक 23–05–2013 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार प्रस्तावित विभागों को प्रारम्भ करने हेतु प्रबन्ध मण्डल का अनुमोदन वांछित है। तद्नुसार उक्त तीन विभाग (Rajasthani, Physical Education & Law) प्रारंभ करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने के लिए प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में तीन स्नातकोत्तर विभागों (Rajasthani, Physical Education & Law) को प्रारंभ करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–22/2013/274

विश्वविद्यालय परिसर में छात्रावास भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न संकायों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को मध्य नजर रखते हुए उनके आवास के लिए विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्रावास भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय परिसर बीकानेर शहर से बाहर दूरी पर स्थित होने के कारण एवं विश्वविद्यालय छात्रों की छात्रावास भवन के निर्माण की मांग को देखते हए छात्रावास की आवश्यकता का औचित्य सही प्रतीत होता है।

प्रथम चरण में छात्रावास भवन के निर्माण कार्य में भू–तल का ही निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसका क्षेत्रफल 1203.26 वर्ग मीटर तथा इसके निर्माण पर राशि 150 लाख रूपये खर्च होने का अनुमान है।

अतः उक्त छात्रावास भवन के निर्माण की स्वीकृति एवं वितीय वर्ष 2013–14 के बजट में अनुमानित राशि 150 लाख रूपये का प्रावधान रखे जाने हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट में अनुमानित राशि 150 लाख रूपये का प्रावधान रखे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव